<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी.ए./3759/2005/बीकानेर</u>

भागीरथ खोलायत पुत्र लिछमनराम जाति खाती निवासी सिनियाला तहसील नोखा जिला बीकानेर

..अपीलांट

बनाम

1–मु. रुकमा पुत्री लिछमनराम जाति खाती निवासी सिनियाला तहसील नोखा जिला बीकानेर
2–मु. हीरा बैवा लिछमनराम जाति खाती निवासी सिनियाला तहसील नोखा जिला बीकानेर
3– राजस्थान सरकार

..रेस्पोडेंटस

खण्ड–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री धूकलराम कसवा, सदस्य

उपस्थितः
श्री बद्रीप्रसाद, अधिवक्ता, अपीलार्थी।
श्री अशोक नाथ योगी अभिभाषक रेस्पोडेंटस

निर्णय

<u>दिनांक : 26मार्च, 2019</u>

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–2–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने रेस्पोडेंट / प्रतवादीगण के विरुद्ध ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि मृतक लिछमनणराम जो कि अपीलांट/वादी का पिता था के नाम ग्राम सिनियाला तहसील नोखा में खातेदारी कुल11.75 हैक्टर एवं ग्राम कुरजडी के खसरा नम्बर 219 रकबा 7.49 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड थी। वादी मृतक लिछमणराम का गोद पुत्र है। जरिये वसीयत वादी व प्रंतिवादी के मध्य लिछमणराम द्वारा अपनी सम्पत्ति का बंटवारा कर दिया था एवं उसी अनुसार पक्षाकारों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विरासतका नामा. वादी के नाम अंकित नही होने से वादी द्वारा वसीयतत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज कराने का

निवेदन किया । दावा दर्ज रजिस्टर कर वाद का प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण ने दावा का जबाव दावा प्रस्तुत किया और दावा सेल कोन्टाडिक्टी् होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी नोखा ने दावा व जबावदावा के आधार पर दावे में तीन तनकीयात कायम की एवं उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4-4-2003 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर, दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष पेश की, जिसे उन्होने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-2-2005 द्वारा खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरायाऔर मुख्य तर्क यह दिया कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर गौर नही किया कि विवादित भूमि का खातेदार मृतक लिछमणराम था जिसने अपने जीवनकाल में अपीलांट के हक में विवादित भूमि की वसीयत निष्पादित कर दी थी जिस आधार पर अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है, किन्तु तहत न्यायालयों ने इस तथ्य को नजअर अन्दाज कर सरसरी तौर पर निर्ण पारित किये है जो काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क हैकि रेस्पोडेंट संख्या एक रुकमा के हक में लिछमणराम की बेवा हीरा भूमि का हक त्याग कर चुकी थी है ,इस कारण रेस्पेडेंट संख्या एक हीरा का इस भूमि पर कोई हक,स्वत्व एवं अधिकार नही रह गया था । उनका आगे तर्क है कि अपीलांट के हक में खातेदार द्वारा वसीयत की गयी है एवं वसीयत का पजीकृत होना आवश्यक नही है, किन्तु तहत न्यायालयों ने सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निवेदन किया कि अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दावा वादी/अपीलांट डिक्री करने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांट पक्ष की ओर से की गयी बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री पत्रावली पर पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर है, दोनो ही निर्णय विस्तृत होकर साक्ष्यों पर आधारित है, दोनो ही अधिनस्थ न्यायालयों ने तकनी वार निर्णय पारित किया है। ऐसीस्थिति में दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती होने से हस्तगत अपील के माध्यम से इनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अन्त में अपील खारिज कर, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट /वादी की ओर से परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर दावा व जबाव दावा के आधार पर कुल तीन तनकियात कायम की गयी है। जो निम्न प्रकार हैः-

1–आया वादी मृतक लिछमनराम का गोदपुत्र है––वादी
2–आया लिछमनराम द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत की गयी
जो विधि मान्य है ––वादी
3–आया लिछमनराम के वारिस में मात्र पत्नी व पुत्री ही है –प्रतिवादी

उक्त तीनों तनकियों में तनकी संख्या1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादी पर व तीसरी तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था।

जहॉ तक तनकी नम्बर 1 का प्रश्न है, अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्यो से इसे प्रमाणित नही कराया है जिससे उक्त तनकी विरुद्ध वादी तय की है, जिसका समर्थन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी किया है एवं हम भी उक्त तनकी का समर्थन करते है।

जहॉ तक तनकी नम्बर 2 का प्रश्न है, इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर ही था। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल वसीयतनामा की छाया प्रति पेश की है। जबकि छाया प्रति का कोई महत्व नही है और ना ही छाया प्रति साक्ष्य में मान्य है और न ही साक्ष्य के रुप में ग्राह्य है। वादी/अपीलांट को परीक्षण न्यायालय में मूल वसीयतनामा पेश कर इसे एग्जिबिट करवाना चाहिए था। लेकिन वादी तनकी नम्बर 2 को भी सिद्ध करने में असफल रहा है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तनकी को वादी के विरुद्ध तय करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की है। हम भी उक्त तनकी का समर्थन करते है।

जहॉ तक तनकी संख्या–3 का प्रश्न है, उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चूॅकि मृतक लिछमनराम की पुत्री मु. रुकमा होना व मृतक लिछमनराम की विधवा मु. हीरा होना स्वयं अपीलांट ने स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही वह अपने को गोद पुत्र होना और वसीयत के आधार पर मृतक लिछमनराम की सम्पत्ति में क्लेम करता है, चूॅकि तकनी संख्या1 व 2 जिनका विवेचन उपर किया जा चुका है तथा उक्त दोनो ही तनकियॉ वादी के विरुद्ध निर्णित की जा चुकी है जिससे मृतक लिछमनराम की वारिस में मात्र पत्नी व पुत्री ही होना सिद्ध होती है। इसलिए तनकी संख्या 3 को परीक्षण न्यायालय एवं विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। जिसका हम भी समर्थन करते है।

स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को किसी भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नही कराया है जिससे परीक्षण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 4–4–2003 के द्वारा खारिज करने में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की है। जिसके विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रथम अपील दायर होने पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने विस्तृत निर्णय व डिक्री दिनांक 18–2–2005 के द्वारा अपील /अपीलांट स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के दोनो ही निर्णय व डिक्री समवर्ती है, जिनमें हम हस्तगत द्वितीय के माध्यम

से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही करते है। हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलांट की ओर से जो तथ्य लिये है, वे सारहीन है। परिणामस्वरुप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः 18-2-2005 एवं 4-4-2003 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

(धूकलराम कसवॉ)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य